

सरकारी गणट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3HELYUI

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई0 अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 382/XXXVI (3)/2016/76(1)/2016 देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामिहम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभृति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016" पर दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 41 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 41, वर्ष 2016)

सरकारी प्रत्याभूति एवं उससे सम्बन्धित अन्य विषयों व आनुषंगिक विषयों के विनियमन हेतु —

अधिनियम

(भारत गुणराज्य के सढ़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।)

2.

3.

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभृति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करें।

परिभाषा

- (क) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
 - (ख) 'सरकारी प्रत्यामूति' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, संवैधानिक बोर्डों एवं निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरणों एवं अभिकरणों को प्रदान की जाने वाली प्रत्याभूति अभिप्रेत् हैं;
 - (ग) 'विहित' से इस अधिनियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;
 - (घ) 'निजी कम्पनी' से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा परिभाषित निजी कम्पनी अभिप्रेत है;
 - (ङ) 'निजी संस्था' से वह संस्था अभिप्रेत है जो कि अपने कुल वित्तपोषण का 50 प्रतिशत से कम सरकारी अभिकरणों से प्राप्त करता हो:
 - (च) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा

- (1) किसी वर्ष की पहली अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल प्रत्याभूति की मात्रा राज्य के उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
- (2) किसी वर्ष में दी जाने वाली कुल नई सरकारी प्रतिभूति उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह किं अति आपातकालीन परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जहाँ सरकार द्वारा शींचातिशीघ राजकोषीय नीति सम्बन्धी उपायों को अपनाने की अपेक्षा होगी, वहां ऐसे उपाय सरकार उपधारा (1) और (2) के अधीन विहित परिसीमा से अधिक कर सकेगी।

सरकारी प्रत्यासूति पर सीमा

- 4. किसी अन्य अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी:-
 - (1) सरकारी प्रत्याभूति सामान्यतः विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, संवैधानिक बोर्डों एवं निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरणों एवं अभिकरणों की ओर से सरकार द्वारा विस्तारित की जायेगी।
 - (2) वैयक्तिकों, निज़ी संस्थाओं या निजी कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले ऋण पर प्रत्याभूति प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रत्याभूति शुल्क

- 5. (1) सरकार प्रत्याभूत ऋण का न्यूनतम 1 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क अधिरोपित करेगी, जिसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जायेगा।
 - (2) परियोजना की भुगतान सम्बन्धी जोखिम के आधार पर सरकार, अधिसूचना के द्वारा पूर्व विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति शुल्क पर बढ़ी हुई दरें विहित कर सकेगी;

टिप्पणी— "भुगतान सम्बन्धी जोखिम" से सरकार द्वारा जिसके लिये प्रत्याभूति दी गई है उसे खुकाने में ऋणी की चूक की सम्भावना से है, जो उधार ली गई धनराशि की मात्रा, उद्योग के प्रकार तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगी।

प्रत्याभूति मोचन निधि

- (1) धारा 5 के अधीन अधिरोपित प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया जायेगा और इसे राज्य के लोक खाते में रखा जायेगा।
 (2) प्रत्याभूति मोचन निधि का विनियमन ऐसी रीति से होया
 - जैसा विहित किया जाय।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति

7. सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ उत्तराखपण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

आज्ञा से, रमेशं चन्द्र खुल्वे, प्रमुख सचिव।

4

No. 382/XXXVI(3)/2016/76(1)/2016 Dated Dehradun, December 19, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Ceiling on Government Guarantee Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 41 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 14 December, 2016.

THE UTTARAKHAND CEILING ON GOVERNMEMT GUARANTEE ACT, 2016 (Act no. 41 of 2016)

·Αn

Act

to provide for regulation of Government guarantees and other matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly in the sixty seventh year of the republic of India as follows:-

Short title and Commencement:

(1) This Act may be Called the Uttarakhand ceiling on Government Guarantees Act, 2016

(2) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

In this Act, unless the context otherwise requires-

Definition:

2. (a) 'Government' means the Government of Uttarakhand.

(b) 'Government Guarantees' includes the guarantee given by the State Government on behalf of Departmental Undertakings, Public sector Undertakings, Local Authorities, Statutory Boards and Corporations, Cooperative Institutions and Other authorities and agencies under the Government of Uttarakhand.

(c) 'Prescribed' means prescribed by rules made under the Act.

- (d) 'Private company' means a private company as defined in section-03 of the companies act, 1956.
- (e) 'Private institution' means who is receive less than 50 percent of its core funding from government agencies.
- (f) 'State' Means the State of Uttarakhand.

Ceiling on Government Guarantees:

- (1) The total outstanding Government guarantees as on the first day of April of any year shall not exceed 1 percent of the Gross State Domestic Product estimated for the year.
 - (2) The total fresh Government guarantees given in a year shall not exceed 0.3 percent of Gross State Domestic Product estimated for the years.

Provided that under the extreme exigencies and occurrence of natural calamities of the order which require the Government to take immediate fiscal policy measures, the Government may exceed the ceiling prescribed under sub-sections (1) and (2).

Restrictions on Government Guarantees:

- 4. Notwithstanding anything contained in any other Acts:
 - (1) The Government guarantee shall ordinarily be extended by the Government on behalf of the Departmental Undertakings, Public Sector Undertakings, Local Authorities, Statutory Boards and Corporations, Co-Operative Institutions and other Authorities and Agencies under the Government.
 - (2) No Guarantees shall be award in respect of loan individual, private institutions or private companies.

Guarantees Commission:

- 5. (1) The Government shall charge a minimum of 1.00 per cent of the amount of Guaranteed loan as guarantees commission, which shall not be waived under any circumstances.
 - (2) Depending on the default risk of the project the Government may, by notification, Specify commission at an enhanced rate.

Note- "default risk" means the probability of default by the borrower on whose behalf the Government Guarantees is given, depending on the amount borrowed, the type of industry and the economic situations.

6.

7.

Guarantees Redemption Fund:

- (1) The Guarantee commission charged under section 5 shall recover form the corpus of the Guarantee Redemption fund and it shall be remitted in the public Accounts of the States.
- (2) The administration of Guarantee Redemption fund shall be in such manner as may be Prescribed.

Power of Government to make rules:

The Government may by notification in the Uttarakhand Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Acts.

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE, Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

विभिन्न निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, साविधानिक बोर्डों एवं निगमों, सहंकारी संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरणों एवं अधिकरणों द्वारा जो ऋण ब्याज पर लिया जाता है, उस पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति प्रदान की जाती है। इस प्रकार की प्रत्याभूति दिये जाने को कानून के द्वारा विनियमित किया जाना उचित है।

2— राज्य सरकार जो ऋण पर गांरटी देती है, उस पर एक सीमा निर्धारित किये जाने के लिये यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें किसी वर्ष के पहली अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल प्रत्यामूति की मात्रा राज्य के उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही किसी वर्ष दी जाने वाली नई सरकारी प्रत्यामूति उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3— इस अधिनियम के बन जाने से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति से सम्बन्धित विषयों का विनियमन प्रभावी ढ़ंग से किया जा सकता है जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

4- अधिनियम उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।